

**A-28019/1/2011-CLS-I**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक २६ मार्च २०१२

**कार्यालय - जापान**

विषय:- सीएलएस अधिकारियों के वर्ष २०११-१२ के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने के संबंध में।

उपरोक्त उल्लेखित विषय पर डीओपीएंडटी की जापान संख्या २०११/०२/२००९-स्था.(ए) दिनांक १६-०२-२००९ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा केंद्रीय श्रम सेवा के भाग लेने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को इस विषय पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया गया है। यह देखा गया है कि अधिकांश सीएलएस अधिकारियों का एसीआर/एपीएआर रिपोर्ट मंत्रालय में समय से नहीं पहुँच रहा है और कुछ मामलों में एपीएआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी विलंब हो रहा है। विभिन्न स्तर पर डीपीसी के संचालन में विलंब होने के कारण संवर्ग प्रबंधन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रहा है। डीओपीएंडटी ने हाल ही में भी एपीएआर और संचार/ एपीएआर के खुलासे में संदर्भ मानक के संबंध में पालन किए जाने वाले निर्देशों को जारी किया है।

२. केंद्रीय श्रम सेवा के सभी भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि २०११-१२ का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पिछले सालों के लिए भी यथावत है, यदि अभी तक पूरा नहीं किया गया है तो रिपोर्ट पूरा करें और एपीएआर द्वारा निर्धारित समय पर रिपोर्ट मंत्रालय में भेजें। यदि इस मामले में संबंधित अधिकारी का स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रतिवेदन अधिकारी इस मामले में डीओपीएंडटी के अनुदेश के अनुसार इस रिपोर्ट के साथ आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भावी अवधि/वर्षों के सीएलएस अधिकारियों के संबंध में एपीएआर रिपोर्ट समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें और सख्त कार्यवाही/अनुपालन के लिए उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन के तहत कार्य करने वाले केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों को उपरोक्त तथ्यों के संबंध में नोटिस जारी करें।

(अजय जोशी)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष संख्या - २३७६६९०२

## प्रेषित

- i. सभी संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन
- ii. डब्ल्यू आई विभाग, कार्यालय डीजीएलडब्ल्यू, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली (संबंधित उप कल्याण आयुक्त/सहायक कल्याण आयुक्त के आवश्यक निर्देशों को जारी करने के लिए 30 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
- iii. एसई विभाग, सीएलसी(सी) (संबंधित उप सीएलसी (सी)/आरएलसी(सी)/एएलसी (सी)} के आवश्यक निर्देशों को जारी करने के लिए 30 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
- iv. महानिदेशक, निर्माण, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन नई दिल्ली
- v. महानिदेशक आयुध फैक्टरी बोर्ड एस.के. बोस मार्ग कोलकाता (विभिन्न आयुध फैक्टरी में सम्बंधित उप श्रम कल्याण आयुक्त/सहायक श्रम कल्याण आयुक्त के आवश्यक निर्देशों को जारी करने के लिए 30 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
- vi. डीजी रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
- vii. नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली
- viii. महा सैन्य सहायक शाखा, आर्मी हेड क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
- ix. मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- x. बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली
- xi. निदेशक (सीएंडसी), मुद्रा निदेशालय, वित्त मंत्रालय (डी.ई.ए.), नई दिल्ली -110001
- xii. अतिरिक्त प्रतियां (50)